

## WTO के अपीलीय नकाय में सुधार

यह एडिटोरियल 05/02/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित ["Crown Jewel That Was"](#) लेख पर आधारित है। इसमें वर्ष 2019 के उत्तरार्दध के बाद से WTO के अपीलीय नकाय (AB) में आई अक्षमता की पड़ताल की गई है, जहाँ इसकी शाथिलिता के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उत्पन्न एकत्रफा बाधा को ज़मिमेदार ठहराया जा रहा है, जिससे नए सदस्यों की नियुक्तिबाधति हो गई है।

### प्रलिमिस के लिये:


[WTO, व्यापार और टैरफि पर सामान्य समझौता \(GATT\), सबसंघी बैंक्स, सबसंघी और काउंटरवेलगि शुल्क पर WTO का समझौता, कृषपिर WTO का समझौता](#)।

### मेन्स के लिये:

WTO सुधार और विकासशील देशों पर इसका प्रभाव, WTO में सुधारों के संदरभ में भारत के सुझाव।

**विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO)** के सदस्य देश फ़रवरी 2024 में आहूत 13वीं मंत्रस्थिरीय बैठक के लिये अबू धाबी में मलिंगे तो संगठन के विवाद निपटान तंत्र (Dispute Settlement Mechanism- DSM) में जारी संकट उनके लिये वारता का एक प्रमुख एजेंडा होगा। WTO के DSM में एक पैनल और एक अपीलीय नकाय (Appellate Body- AB) के साथ एक बाध्यकारी दो-स्तरीय प्रक्रिया शामिल है। वर्ष 2019 के उत्तरार्दध के बाद से यह निषिकरण बना हुआ है क्योंकि अमेरिका (जिसे AB के समक्ष प्रस्तुत कई महत्वपूर्ण विवादों में हार का सामना करना पड़ा है) ने एकत्रफा तरीके से नए सदस्यों की नियुक्तिको बाधति कर रखा है।

# Structures of WTO



## WTO का विवाद निपटान तंत्र (DSM):

- परामर्शः
  - औपचारिक विवाद शुरू करने से पहले, शक्तियात करने वाले पक्ष को बचाव पक्ष से परामर्श का अनुरोध करना चाहयि। वारता के माध्यम से विवाद को सौहारदपूरण ढंग से सुलझाने की दिशा में यह पहला कदम होता है।
  - यह परामर्श विशिष्ट समयसीमा के भीतर आयोजित किया जाना चाहयि और इसमें शामिल पक्षकारों को पारस्परिक रूप से सहमत समाधान खोजने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- पैनल स्थापना:
  - यदि परामर्श विवाद को हल करने में वफ़िल रहता है तो शक्तियात करने वाला पक्ष विवाद निपटान पैनल की स्थापना का अनुरोध कर सकता है। **विवाद निपटान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB)** इस प्रकरण की निगरानी करता है।
  - WTO सदस्यों के बीच विवादों के निपटान के लिये DSB के रूप में सामान्य पराषिद (General Council) आहूत की जाती है। DSB के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
    - विवाद निपटान पैनल स्थापति करना,
    - मामलों को मध्यस्थता (arbitration) के लिये संदर्भिति करना;
    - पैनल, अपीलीय निकाय और मध्यस्थता रपोर्ट को अपनाना;
    - ऐसी रपोर्टों में नहिति सफिराशियों और नरिण्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी बनाए रखना; और
    - उन सफिराशियों और नरिण्यों के गैर-अनुपालन की स्थिति में रथियतों के निलिपन को अधिवृत्त करना।
  - पैनल का निर्माण व्यापार कानून और विवाद की विषय वस्तु में प्रासंगिक विशेषज्ञता रखने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों से किया जाता है। पैनल मामले की जाँच करता है, दोनों पक्षों के तर्कों की समीक्षा करता है और एक रपोर्ट जारी करता है।
- पैनल रपोर्ट:
  - पैनल की रपोर्ट में तथ्य के नष्टिकरण, कानूनी व्याख्याएँ और समाधान के लिये सफिराशियों शामिल होती हैं। इसे सभी WTO सदस्यों के बीच प्रसारित किया जाता है, जिससे उन्हें इसकी समीक्षा करने और अपनी टपिपणियाँ प्रदान करने की अनुमति मिलती है।
- अंगीकरण या अपील:
  - DSB इस पैनल रपोर्ट को अंगीकृत करता है यदि ऐसा करने के बाबुद्ध आम सहमति न हो। यदि आम सहमति नहीं बनती है तो मामले की

अपील अपीलीय निकाय के समक्ष की जा सकती है।

◦ **WTO का अपीलीय निकाय:**

- अपीलीय निकाय (Appellate Body) की स्थापना वर्ष 1995 में विवाद निपटान को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं प्रक्रयाओं पर समझौता (Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes- DSU) के अनुच्छेद 17 के तहत की गई थी।
- यह सात-सदस्यीय स्थायी निकाय है जो WTO सदस्यों द्वारा उठाये गए विवादों पर पैनल द्वारा जारी रपोर्टों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। अपीलीय निकाय के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के लिये नियुक्त किये जाते हैं।
- यह पैनल के कानूनी अनुवेषण और निषिकरणों को बरकरार रख सकता है, संशोधित कर सकता है या उन्हें पलट सकता है। अपीलीय निकाय की रपोर्ट, यद्यपि DSB द्वारा अंगीकृत कर ली जाती है तो फिर यह विवाद में शामिल पक्षकारों पर बाध्यकारी होती है।
- अपीलीय निकाय की सीट जिनिवा, स्विट्जरलैंड में है।

▪ **सफिरशिंग का कार्यान्वयन:**

- यदि कोई WTO सदस्य अपने दायतियों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उससे WTO समझौतों के अनुपालन में अपने उपाय लागू करने की उम्मीद की जाती है।
- यदि सिद्धान्त ऐसा करने में विफल रहता है तो शक्तिकारकता प्राधिकार से उस पर रायियतों या अन्य उपायों के नियन्त्रण के माध्यम से जवाबी कार्रवाई करने की मांग कर सकता है।

## अमेरिका द्वारा WTO के लिये कौन-सी एकत्रफा चुनौतियाँ पेश की गई हैं?

▪ **WTO मंत्रसितरीय सम्मेलन (MC11), 2017:**

- बहुनस आयरस में आयोजित सम्मेलन बनियों की ठोस परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि 164 सदस्यीय निकाय में आम सहमति नहीं बन पाई।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिये सरकारी स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान को अवरुद्ध कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ई-कॉमरेस और निविश सुविधा सहित नए मुद्दों पर भारत अपना रुख सख्त करने के लिये बाध्य हुआ।

▪ **ई-कॉमरेस वारता:**

- अमेरिका और [युरोपीय संघ \(EU\)](#) के नेतृत्व में विकासित देशों ने WTO के भीतर ई-कॉमरेस, निविश सुविधा और MSMEs पर बड़े दबाव समूहों का नियन्त्रण कर (जहाँ प्रत्येक सूत्रीकरण में 70 से अधिक देश शामिल थे) WTO वारताओं में जारी गतिशील से बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश की।
  - यद्यपि WTO आम सहमति से संचालित होता है और यहाँ तक कि किसी बहुपक्षीय समझौते के लिये भी सभी सदस्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इन समूहों के गठन से WTO को बहुपक्षवाद पर अपने फोकस से दूर करने का प्रयास किया जाता है क्योंकि ये सुधार बड़े पैमाने पर विकासशील देशों (जैसे G-77 आदि) द्वारा समर्थित नहीं हैं।

▪ **TRIPS के विवादास्पद प्रावधानों का बचाव:**

- अमेरिका द्वारा [व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों](#) (Trade Related Intellectual Property' rights- TRIPs)—जिसमें पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क शामिल हैं, का कठोर बचाव किया जाता है और स्वास्थ्य एवं मानव जीवन की प्रवाह नहीं की जाती है।
- WTO ने उप-सहारा अफ्रीका जैसे क्षेत्रों के देशों में (जहाँ हर दिन HIV/AIDS से हजारों लोगों की मौत हो जाती है) जीवनरक्षक दवाएँ प्रदान कर अपने लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा का प्रयास करने वाली सरकारों के विद्युतिकार्मास्युटिकिल कंपनियों के 'लाभ के अधिकार' की रक्षा की है।

▪ **व्यापार वारता के दोहा दौर के मुद्दे:**

- अमेरिका ने अत्यधिक मांगें तैयार करने के रूप में, जिनकी पूरताके लिये कोई देश तैयार नहीं था, जानबूझकर दोहा दौर की व्यापार वारता प्रक्रयाएँ को प्रभावित किया।
- अमेरिकी प्रशासन की प्राथमिकता यह नहीं थी कि गतिशील की शक्ति द्वारा WTO वारता को पुनर्जीवित किया जाए, बल्कि वह अपने प्रत्येक स्वास्थ्याधिकारों यूरोप और चीन को नियंत्रित करने के लिये अपने नवनियमित विकल्प [TPP \(Trans-Pacific Partnership\)](#) पर केंद्रित था।

▪ **अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्तिको बाधति करना:**

- कई देशों से व्यापार विवादों के निपटारे की बहुपक्षीय प्रणाली गहन संवीक्षा और नियन्त्रण आलोचना के अधीन रही है।
- अमेरिका ने व्यवस्थित रूप से अपीलीय निकाय के नए सदस्यों और न्यायाधीशों की नियुक्तिको अवरुद्ध कर रखा है और वास्तविक रूप से WTO अपील तंत्र के कार्यकरण को बाधति किया है।
  - वर्ष 2024 तक एक पूर्ण सकरण DSM का नियन्त्रण करने के संकलप के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को 'डी-जयुडशियलाइज' करने की अमेरिकी की प्रवृत्तविविद निपटान तंत्र को पुनर्जीवित करने (जैसा वह वर्ष 2019 से पहले रहा था) की राह में एक बड़ी चुनौती है।

▪ **एकत्रफा टैरफि उपायों का आकरामक उपयोग:**

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एकत्रफा टैरफि उपायों का आकरामक उपयोग, चीन का वणकिवाद (mercantilism) और आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण नए क्षेत्रों में विषयों का विस्तार करने के मामले में आम सहमति तक पहुँच सकने की WTO सदस्यों की असमर्थता WTO की आलोचना को और आधार प्रदान करती है।

▪ **देशों को परभाषित करने में आम सहमतिका अभाव:**

- WTO वारताओं में एक समस्या यह भी है कि WTO में विकासित या विकासशील देश कौन हैं, इसकी कोई सहमति परभाषित मौजूद नहीं है।
- वर्तमान में सदस्य देश 'विशेष और विभिन्न व्यवहार' (special and differential treatment) प्राप्त करने के लिये स्वयं को विकासशील देश के रूप में नियंत्रित कर सकते हैं, जो एक ऐसा अभ्यास है जो व्यापक विवाद का विषय रहा है।
  - उदाहरण के लिये, चीन और भारत को WTO में 'विकासशील देश' का दर्जा प्राप्त हुआ, जो एक विवादास्पद मुद्दा बन गया और

अमेरिका एवं यूरोपीय संघ ने इस नरिण्य के वरिद्ध चति जताई।

- भारत की पहलों को अमेरिका द्वारा बाधित किया जाना:

- भारतीय इस्पात उत्पादों पर अमेरिका द्वारा प्रतिकारी शुल्क लगाना, गैर-आपराधिकी वीजा के मामले में अमेरिका द्वारा कथि गए उपाय, अमेरिका के नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम और अमेरिका द्वारा इस्पात एवं एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाए गए आयात शुल्क आदि विविध के विषय हैं जहाँ भारत एक वादी या शक्तिकारक रूप से प्रक्षय है।
    - पोलट्री एवं पोलट्री उत्पादों के आयात पर भारत द्वारा प्रतिबंध पर अमेरिका की शक्तिकारक और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की कुछ वस्तुओं पर भारत के आयात शुल्क पर यूरोपीय संघ, जापान एवं ताइवान द्वारा दर्ज की गई शक्तिकारक, ऐसे कुछ मामले हैं जहाँ भारत WTO में एक प्रतिवादी प्रक्षय है।

**वशिव व्यापार संगठन में सुधार के क्या उपाय हैं?**

- नए सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव का समर्थन करना:

- आमतौर पर अपीलीय नकिय में नई नयिक्तयाँ WTO सदस्यों की आम सहमतिसे की जाती है, लेकनि जहाँ आम सहमतिसंभव नहीं है वहाँ मतदान का भी प्रावधान है।
  - भारत सहति 17 अल्पविकसिति और विकासशील देशों का समूह, जो अपीलीय नकिय में गतरिध को समाप्त करने के लिये मिलिकर कार्य करने के लिये प्रतविद्ध है, इस आशय का एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है और मतदान बहुमत से अपीलीय नकिय में नए सदस्यों को शामिल करने का प्रयास कर सकता है।
    - लेकनि इसके दुषपरणिम भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी देश प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के वीटो का वरीध करने पर उसकी ओर से एकत्रफा काररवाइयों का भय रखते हैं।

#### ■ वधिउल्लंघन पर उपयुक्त दंडः

- यदि किसी देश ने कुछ गलत किया है तो उसे शीघ्रता से अपनी गलतियों को सुधारना चाहिये। यदि वह किसी समझौते का उल्लंघन जारी रखता है तो उसे मुआवजे की पेशकश करनी चाहिये या उचित प्रतक्रिया का सामना करना चाहिये जिसमें कुछ उपचार (remedy) शामिल हो -हालाँकि यह वास्तव में कोई दंड नहीं है, बल्कि एक 'उपचार' है और किसी भी देश के लिये नियमों का पालन करना ही अंतम लक्ष्य होना चाहिये।

- दोषी पाए जाने पर ऐसे देशों को 'हरति जलवायु कोष' में अनविरय रूप से एक वशीष राशजिमा करने के लिये बाध्य कया जा सकता है।

## ■ सुधारात्मक दृष्टिकोणः

- सुधारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित स्थायी वीरघाकालकि समाधानों में नविरत्मान सदस्यों के लिये एक संक्रमणकालीन नयिम शामलि हो सकता है, जो उन्हें अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी लंबति अपीलों को पूरी तरह से नपिटाने की अनुमतिदेता हो और नीतगित क्षेत्र का अतक्रिमण कयि बनि सहमत राष्ट्रीय कानूनों के अरथ की अपीलीय नकिय द्वारा व्याख्या को सीमित करता हो, ताकि राष्ट्रों की संपरभुता को सुरक्षित रखा जा सके।

#### ■ सदस्यों की नियमति बैठकः

- अन्य दीर्घकालिक समाधानों में प्रभावी संचार और तत्काल नविरण तंत्र सुनिश्चित करने के लिये अपीलीय नकाय के साथ WTO सदस्यों की नियमिति बैठकें आयोजित करना शामिल हैं।
    - इस प्रकार, सभी देशों को संकट से निपटने के लिये एक साथ आना चाहयि ताकि सिबसे खराब परिस्थिति का सामना न करना पड़े।

- DSM पुनर्बहाली के लिये विकासशील देशों का आहवानः

- ० भारत सहित अन्य विकासशील देश, WTO के विवाद निपटान तंत्र (DSM) को उसकी पछिली कार्रायात्मक स्थिति में बहाल करने की वकालत कर रहे हैं, जहाँ वे अपीलीय नकाय दवारा प्रदर्शित नव्यितरण एवं संतुलन के महत्वपूर्ण पर बल देते हैं।

#### ■ विकासशील देशों के लिये विकल्पः

- विकासशील देशों को WTO में दो-स्तरीय DSM बनाए रखने के लिये तीन वकिल्पों का सामना करना पड़ता है: (a) यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय अपील मध्यस्थिता व्यवस्था (Interim Appeal Arbitration Arrangement- MPIA) में शामिल होना, (b) एक कमज़ोर अपीलीय निकाय को स्वीकार करना, या (c) ऑप्ट-आउट प्रावधान वाले मूल अपीलीय निकाय को पुनरजीवित करना।
    - अंतर्राष्ट्रीय समाधान के रूप में MPIA:** विकासशील देशों के लिये पहला वकिल्प यूरोपीय संघ के नेतृत्व वाले MPIA में शामिल होना है, जो एक बहुदलीय अंतर्राष्ट्रीय अपील मध्यस्थिता व्यवस्था है जो मध्यस्थिता तंत्र को औपचारिक बनाती है, लेकिन इसमें स्वैच्छिक प्रकृति और सारखभौमिक अंगीकरण की कमी जैसी खामियाँ भी हैं।
    - कमज़ोर अपीलीय निकाय:** दूसरे वकिल्प में एक कमज़ोर (diluted) अपीलीय निकाय पर विचार करना शामिल है, जहाँ AB की शक्तियाँ सीमित होंगी, जो संभावित रूप से WTO कानून की अपेक्षाओं के विपरीत, बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को सुरक्षा एवं पूर्वानुमान प्रावदान करने की क्षमता में बाधा डालेगी।
    - अंतर्राष्ट्रीय समाधान के रूप में AB के लिये ऑप्ट-आउट प्रावधान:** तीसरा अंतर्राष्ट्रीय वकिल्प एक ऑप्ट-आउट प्रावधान के रूप में एक महत्वपूर्ण बदलाव के साथ AB को पुनरजीवित करने का सुझाव देता है। हालाँकि यह दो-स्तरीय बाध्यकारी DSM की प्रकृतिको बदल सकता है, यह AB के वरतमान स्वरूप को सुरक्षित रखने और स्वैच्छिक आधार पर अमेरिका को शामिल करने के संबंध में एक समझौते की स्थितिको इंगति कर सकता है।

नष्टिकरण

WTO की 13वीं मंत्रसभित्रीय बैठक अक्षम विवाद नपिटान तंत्र (DSM) के महत्वपूर्ण मुद्दे का सामना करेगी, जो वर्ष 2019 से अमेरिका द्वारा अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को रोकने का प्रयास है। पूरी तरह कार्यात्मक DSM की पुनर्रचनाली के प्रयास को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधों के प्रति अनियिष्ठा रखता है। जबकि आदर्श समाधान यह होगा कि अपीलीय निकाय को वर्ष 2019

तक की पूरवस्थिति में पुनर्बहाल कया जाए, इच्छुक देशों के लिये AB की स्थिति से समझौता करना WTO में उनकी आवश्यक भूमिका की रक्षा के लिये एक व्यावहारिक विकल्प हो सकता है।

**अभ्यास प्रश्न:** चुनौतियों को संबोधित करने के लिये, विशेष रूप से विवाद निपटान तंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आवश्यक सुधारों और वैश्विक व्यापार प्रशासन पर इसके प्रभाव के बारे में चर्चा कीजिये।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, विगत प्रश्न के प्रश्न

**प्रश्न:** भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को कसिके दायतित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2018)

- (a) अंतर्राष्ट्रीय शर्म संगठन
- (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (d)

**प्रश्न:** 'एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़रस और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में कसिके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रुपरेखा सम्मेलन
- (c) विश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र प्रयोगरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

**प्रश्न:** नमिनलखिति में से किसी संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में 'एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-EU वारता

उत्तर: (a)

**प्रश्न:** नमिनलखिति कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

1. भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते (TFA) की पुष्टिकी है।
2. TFA 2013 के WTO के बाली मंत्रसित्रीय पैकेज का एक हिस्सा है।
3. TFA जनवरी 2016 में लागू हुआ।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 1 और 3
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

**प्रश्न:** व्यापार-संबंधित नविश उपाय (TRIMs) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

1. विदेशी नविशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतबंध निषिद्ध हैं।
2. वे वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधित नविश उपायों पर लागू होते हैं।
3. उन्हें विदेशी नविश के नियमन से कोई सरोकार नहीं है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनाएँ:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

---

**[?/?/?/?/?]:**

प्रश्न. वशिव व्यापार संगठन एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नियम देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। वशिव व्यापार संगठन का जनादेश क्या है और उसके नियम क्या हैं? खाद्य सुरक्षा पर वारता के नवीनतम दौर पर भारत के रुख का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। (2014)

प्रश्न. “वशिव व्यापार संगठन के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन एवं प्रोन्नतिकरना है। लेकिन वारताओं की दोहा परिधि मृत्योन्मुखी प्रतीत होती है, जिसका कारण विकासशील देशों के बीच मतभेद है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016)

प्रश्न. यदि ‘व्यापार युद्ध’ के वर्तमान परिवृश्य में वशिव व्यापार संगठन को जदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं वशिव रूप से भारत के हति को ध्यान में रखते हुए? (2018)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/impending-reforms-at-wto-s-appellate-body>

